


278



**न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर**

प्रकरण क्रमांक

12096 निगरानी

11-1-16

दिनांक 11-1-16 को  
प्रो. नरेश चं. शर्मा  
श्री. एल. सुन्दर

11-1-16  
SD

१- भरतलाल शर्मा पुत्र गजाधर प्रसाद  
निवासी देवनगर, गंजीवाला मोहल्ला,  
लकड़खाना, माधीगंज, लक्ष्मर, ग्वालियर  
मध्य प्रदेश।

----- प्राथी

बिराध्व

- |   |                   |
|---|-------------------|
| १- शत्रुघ्न शर्मा पुत्र गजाधर प्रसाद शर्मा, |                   |
| २- सु० वैकुण्ठी देवा दुबलाल                 |                   |
| ३- वैजनाथ शर्मा                             | पुष्पगण हूटनलाल   |
| ४- शिवदयाल शर्मा                            |                   |
| ५- माया                                     | पुत्रियान हूटनलाल |
| ६- कमलेश                                    |                   |
| ७- मिथिलेश                                  |                   |
| ८- रानी                                     |                   |

समस्त निवासीगण ग्राम धुलिखिनी तहसील  
कैलारस जिला मुरना-मध्य प्रदेश।

--- प्रतिप्राथीगण

निगरानी बिराध्व आदेश एस०डी०जी० महोदय सकलगढ़ जिला मुरना  
दिनांकी १-१-१६ अन्तर्गत धारा ५०-मध्य प्रदेश मू-राजस्व संहिता, १९५६।  
प्र०क्र० ४७।१४-१५ अपील।

श्रीमान् जी,

निगरानी का प्राथीपत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

- १- यह कि, एस०डी०जी० महोदय की आज्ञा कानूनन सही नहीं है।
- २- यह कि, एस०डी०जी० महोदय ने प्रकरण के स्वल्प ही कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा है।

3





## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-111-एक/16

जिला - मुरैना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. अवस्थी एवं अनावेदक अधिवक्ता श्री एस.के. वाजपेयी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27.3.19 को कलेक्टर, जिला मुरैना के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">   <b>प्रशासकीय सदस्य</b> </p> <p style="text-align: left;">  </p>	